

कार्यालय-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव जिला कोण्डागांव(छ0ग0)



जिला न्यायालय परिसर, कोण्डागांव

दूरभाष/फैक्स नम्बर- 07786-242501

E-Mail- dlsa.kondagaon-cg@gov.in.com



क्रमांक 23 / जि0वि0से0प्रा0 / 2024

—:आदेश:—

कोण्डागांव, दिनांक 09.05.2024

माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पुराना उच्च न्यायालय भवन बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 1328/LADCS-203/2024 बिलासपुर दिनांक 03.05.2024 के आलोक में इस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव में स्थापित लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय एवं माननीय मुख्य संरक्षक महोदय के अनुमोदनानुसार इस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव में लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय हेतु स्टाफ (Human resources/main power-office assistant, receptionist-cum-data entry operator & office peon/munshi/attendent) निम्नानुसार अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित पद एवं स्थान पर 01 वर्ष के लिए संविदात्मक नियुक्ति कर पदस्थ किया जाता है:-

क्र0	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	पदनाम	पदस्थापना स्थल
01	राहुल कुमार झा पिता-श्री जितेन्द्र झा	Office assistant/clerks	कार्यालय लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम, कोण्डागांव जिला कोण्डागांव
02	विरेश मानिकपुरी पिता विमल दास	Receptionist-cum-data entry operator	कार्यालय लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम, कोण्डागांव जिला कोण्डागांव
03	संजय कुमार पिता श्री धनसाय	Office peon	कार्यालय लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम, कोण्डागांव जिला कोण्डागांव

नियम एवं शर्त:-

- लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय हेतु कार्यालय सहायक, रिसेप्शनिस्ट कम डॉटा एन्ट्री आपरेटर, कार्यालय भृत्य/मुंशी पद के स्टाफ की पूर्णतया संविदात्मक नियुक्ति है, जिनका कार्यकाल/कार्यवधि नालसा के दिशा-निर्देशों के अनुसार 01 वर्ष के लिए होगी।
- लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय हेतु कार्यालय सहायक, रिसेप्शनिस्ट कम डॉटा एन्ट्री आपरेटर, कार्यालय भृत्य/मुंशी पद के स्टाफ का मानदेय संविदात्मक सेवा में सिर्फ मासिक एक मुश्त राशि वेतन के रूप में देय होगा इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन महंगाई भत्ता गृह भाडा भत्ता, पेंशन की पात्रता वार्षिक वेतन वृद्धि मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

3. एक कलेण्डर वर्ष में यथा अनुपाथ आधार पर 15 दिनों की छुट्टी की पात्रता होगी उपयोग न किये गये अवकाश को न तो अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जायेगा और न ही भुनाया जायेगा
4. नियुक्त कार्यालय सहायक, रिसेप्शनिष्ट कम डॉटा एन्ट्री आपरेटर, कार्यालय भृत्य/मुंशी पद के स्टाफ के द्वारा माननीय नालसा एवं सालसा द्वारा जारी समस्त दिशा निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
5. लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय हेतु नियुक्त स्टाफ के द्वारा माननीय नालसा के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने की स्थिति में स्कीम में दिये गये दिशा निर्देश के अनुरूप नियुक्त स्टाफ की संविदात्मक सेवा अध्यक्ष डीएलएसए सचिव की सिफारिश पर या सालसा द्वारा लिखित रूप में दिये गये निर्देश पर समाप्त की जा सकेगी।
6. लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय हेतु नियुक्त स्टाफ के कार्य संतोषजनक नहीं होने पर, अथवा कर्तव्य पर बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहते हैं तथा आपराधिक/राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्तता पाये जाने पर भी, ऐसे स्टाफ की सेवायें बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जावेगी।
7. लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम संशोधित स्कीम, 2022 में प्रावधानित अनुसार, लीगल एड डिफेंस कौंसिल कार्यालय के कार्य हेतु निर्धारित आचार संहिता का पालन अनिवार्यतः करेंगे।
8. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे नियुक्त कोई भी स्टाफ उक्त पदों पर सरकारी वेतन भत्ते या अनुलाभों को नियमित किये जाने अथवा नियमित वेतनमान प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेगा।
9. दिनांक 15.05.2024 तक अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

(Handwritten Signature) 09.05.2024

अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
कोण्डागांव
जिला-कोण्डागांव(छ0ग0)

23 A

पृ0क0 /जि0वि0से0प्रा0/2024
प्रातिलिपि:-

कोण्डागांव दिनांक 09 मई 2024

- 01 माननीय छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पुराना उच्च न्यायालय भवन, बिलासपुर को उनके संदर्भित ज्ञापन के तारतम्य में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सर्व संबंधित श्री.....को सूचनार्थ। आप दिनांक 15.05.2024 के पूर्व चयनित पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

(Handwritten Signature) 09.05.2024

अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
कोण्डागांव
जिला-कोण्डागांव(छ0ग0)